

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 272) पटना, वृहस्पतिवार, 6 अप्रील 2017

उद्योग विभाग

अधिसूचना 28 दिसम्बर 2016

सं॰ 4Tech./IIP Rules, 2016/151/2016-3074— बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिनियम के सभी या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए निम्निलिखित नियमावली बनाती है:-

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016

- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।**-(1) यह नियमावली बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली. 2016 कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
 - 2. परिभाषाएं ।- इस नियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (1)(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016;
 - (ख) ''पर्षद'' अथवा ''राज्य पर्षद'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा−4 के अधीन यथा गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद;
 - (ग) ''क्लियरेन्स'' से अभिप्रेत है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवंटन, सहमित, स्वीकृति, अनुमित, पंजीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्ति एवं इस प्रकार किसी सक्षम प्राधिकार या प्राधिकारो, जो कि औद्योगिक उपक्रम बिहार राज्य में स्थापित किये जाने के लिए आवश्यक हो, द्वारा प्रदान किया जाना या निर्गत किया जाना एवं इसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों के वाणिष्यक उत्पादन प्रारंभ किये जाने या परियोजना के प्रारंभ होने तक वैसे सभी क्लियरेन्स, जो भी आवश्यक हों, शामिल होंगे;
 - (घ) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है औद्योगिक विकास आयुक्त के रूप में कार्य करनेवाला राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;

- (ड.) ''सामान्य आवेदन पत्र'' से अभिप्रेत हैं इस अधिनियम के अधीन यथाविहित ऐसे इलेक्ट्रोनिक प्रपत्र, जो सभी प्रकार के क्लियरेन्स हेतु व्यक्तिगत आवेदन प्रपत्रों को संयुक्त करता हो;
- (च) ''कंपनी'' से अभिप्रेत है निगमित निकाय और इसमें फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है;
- (छ) ''सक्षम प्राधिकार'' से अभिप्रेत है सरकार का कोई विभाग या एजेंसी जिसे क्लियरेन्स देने या निर्गत करने का अधिकार और जिम्मेवारी सौंपी गयी हो, और इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगर पालिका, नगर निगम और विकास प्राधिकार शामिल होंगे:
- (ज) ''विभाग'' से अभिप्रेत है सरकार का उद्योग विभाग;
- (झ) ''उद्यम'' से वही अभिप्रेत है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 27) की धारा-2(ई) में है;
- (ञ) ''फीस'' और ''जमा'' से अभिप्रेत होगा क्लियरेन्स/अनुमोदन सहमित अथवा किसी अन्य प्रकार के कानूनी अनुमित, जो उस प्राधिकार की सक्षमता के अधीन हो, देने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारों के अधिनयम और नियमावली द्वारा विहित राशि;
- (ट) ''प्रोत्साहन'' से वही अभिप्रेत है नीति के अधीन, समय-समय पर, निवेशकर्ताओं को उपलब्ध की जाने वाला वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभ;
- (ठ) ''ऑनलाइन'' से अभिप्रेत है किसी कम्प्यूटर का एक या अधिक कम्प्यूटरों से अथवा इंटरनेट जैसे नेटवर्क से जुड़ा हुआ होना;
- (ड) ''नीति'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति;
- (ढ) ''लोक प्राधिकार'' से अभिप्रेत है विभिन्न अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकार और इस अधिनियम की धारा-2(एफ) में परिभाषित सभी सक्षम प्राधिकार शामिल होंगे;
- (ण) ''नियमावली से अभिप्रेत है बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली, 2016;
- (त) ''सचिवालय'' से अभिप्रेत हैं इस अधिनियम की धारा-5 के अधीन यथा गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का सचिवालय;
- (थ) ''राज्य-सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार-सरकार;
- (द) ''उद्योग आधार'' से अभिप्रेत है औद्योगिक इकाइयों का ऐसा पंजीकरण जैसा कि भारत-सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर, अधिकथित किया गया हो;
- (2) इसमें प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके प्रति क्रमश: समनुदेशित किए गए हों।

3. राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन।-

- (1) राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किया जाएगा;
- (2) मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का अथवा सरकार द्वारा यथा निर्णित, इसमें जो भी पहले हो, का होगा।

4. राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की प्रक्रिया।-

- (1) बोर्ड की पूर्व बैठक में विभाग द्वारा घोषित की जाने वाले नियत तिथि को बोर्ड की बैठक प्रत्येक माह होनी। वैसी नियत तिथि को अवकाश का दिन होने की दशा में, वह बैठक, बिना किसी अगली सूचना के, अगली पश्चात्वर्ती तिथि को होगी।
- (2) राज्य बोर्ड, राज्य बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा यथा विनिश्चत एक माह में एक से अधिक बैठकें आयोजित कर सकेगा फिर भी प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक आयोजित करना आज्ञापक होगा।

- (3) पर्षद की बैठक अध्यक्ष सिहत किसी सदस्य की अनुपस्थित के कारण स्थिगित नहीं की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बाद वाले वरीष्ठ सरकारी सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
- (4) पर्षद की सदस्यता पदनाम से है और अन्य कृत्यकारी द्वारा प्रतिस्थापन, अध्यक्ष की अनुमित से, केवल असाधारण परिस्थितियों में अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (5) पर्षद की बैठक के लिए अध्यक्ष के अतिरिक्त पाँच सदस्यों की गजपूर्ति (कोरम) होगी। किसी मद पर कोई निर्णय किसी विभाग या किसी ऐजेंसी के प्रतिनिधित्व के अभाव में रोका नहीं जाएगा।
- (6) पर्षद के समक्ष विचारण के लिए रखे गए प्रस्ताव या तो अनुमोदित किए जाएगे या उन पर समुचित निर्णय लिया जाएगा। अगर पर्षद द्वारा किसी मामले को स्पष्टीकरण के प्रयोजन से स्थिगित किया जाता है तो इसके कारण समुचित रीति से कार्यवाही में संशोधित किया जायेगा।
- (7) पर्षद समय-सीमा के भीतर बोर्ड के समक्ष रखे जाने तथा प्रस्ताव की पूर्णता को ध्यान मे रखते हुए विशिष्ट निर्देश से सचिवालय के कार्यों का माहवारी पुनर्विलोकन करेगा।
- (8) पर्षद निम्नलिखित पर निर्णय लेगा:-
 - (i) सिचवालय द्वारा उपलब्ध किए गए क्लियरेंस की सूची का पुनर्विलोकन;
 - (ii) स्वघोषणा के आधार पर उपलब्ध की गई क्लियरेंस सूची का पुनर्विलोकन;
 - (iii) सामान्य आवेदन पत्र का अनुमोदन;
 - (iv) एस0 आई0 पी0 बी0 के अधीन आवेदन के लिए फीस और जमा का पुनर्विलोकन;
 - (v) नीति से संबंधित मुद्दे पर और स्पष्टीकरण के संबंध में विभाग को मार्गदर्शित करना एवं सलाह देना।

(9) पर्षद की प्रत्येक बैठक में एजेंडा के भाग के रूप में निम्नलिखित मुद्दों का पुनर्विलोकन पर्षद करेगा:-

- (i) निवेश-प्रस्ताव की प्रास्थिति तथा उसके अनुमोदन की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;
- (ii) पर्षद द्वारा अनुमोदित निवेश प्रस्तावों की प्रास्थिति और उनके क्रियान्वयन की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;
- (iii) अनुमोदित निवेश-प्रस्ताव को दिए गए क्लियरेंस की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;
- (iv) निवेश-प्रस्तावों की संख्या जहाँ डिम्ड अनुमोदन दिया जानेवाला था और ऐसे डिम्ड अनुमोदन दिए जाने के लिए कारणों का पुनर्विलोकन;
- (v) अनुमोदित प्रस्तावों के लिए क्लियरेंस प्राप्त करने और निपटारे की आवश्यक कार्रवाई करने में पाई जाने वाली बाधाओं का पुनर्विलोकन;
- (vi) अनुमोदित प्रस्तावों से संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और अनुमोदित ऋण की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;
- (vii) नीति के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन;
- (viii) प्रक्रियागत और व्ययनित वित्तीय प्रोत्साहनों की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;
- (ix) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा समनुदेशित कोई अन्य कार्य।
- (10) यदि किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिनियम के अधीन विहित उत्तरादायित्व का निर्वहन नहीं किया गया हो तो पर्षद सक्षम प्राधिकार के विरूद्ध कार्रवाई अनुशंसित करेगा।

5. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का सचिवालय।-

(1) अधिनियम की धारा 6(2) में उल्लिखित सदस्य सिचवालय में होंगे। सिचवालय की सहायता, योजनाओं के मूल्यांकन तथा अधिनियम की धारा 6(3) और नियम 5(2) में परिभाषित क्रियाकलापों के समर्थन को क्रियान्वित करने हेतु, पेशेवर व्यक्तियों द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार सिचवालय के स्टाफ बल विनिश्चत करेगी।

- (2) सचिवालय निम्नलिखित सभी कृत्यों का जिम्मा लेगा:-
 - (i) विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकरण, उत्क्रमण और विस्तारण सिंहत सभी नए निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करना, प्रक्रियागत करना और अपेक्षित किलयरेंस उपलब्ध करना;
 - (ii) देश के भीतर और बाहर बिहार को निवेश के लक्ष्य के रूप में प्रोन्नत करने हेतु योजना बनाना, डिजाइन करना और अभियान क्रियान्वित करना;
 - (iii) सामान्य आवेदन पत्र प्राप्त करने और प्रक्रियागत करने का प्रबंध करना तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी क्लियरेंस इस नियमावली के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर दे दिए गए है;
 - (iv) सक्षम प्राधिकार की ओर से क्लियरेंस देने के लिए विहित फीस और जमा संग्रह करना तथा संबंधित लेखा में फीस और जमा को अंतरित करना;
 - (v) आवेदक को ऐसे क्लियरेंस की सूचना देना और जहाँ आवेदन में ऋृिटयाँ हो, आवेदक को उन ऋृिटयों की सूचना देना और उनका सुधार करवाना;
 - (vi) सेक्टर, उत्पाद और पैमाना (स्केल) वार निवेश पर सांख्यिकी जानकारी इकट्ठा करना और संघ और राज्य प्राधिकारों को, जब भी आवश्यकता हो, उपलब्ध करना;
 - (vii) भावी निवेशकों के लिए सेक्टर तथा उत्पादवार जानकारी तैयार करना और बेवसाइट, प्रिंट और दृश्य मिडिया तथा विभाग द्वारा यथानिदेशित अन्य साधनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।
- (3) सिचवालय नियम 4(1) में सूचीबद्ध विभिन्न क्रियाकलापों के लिए माहवारी आधार पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भी जिम्मेवार होगा जिसे पर्षद के समक्ष समुचित निर्णय के लिए रखा जाएगा।
- (4) सचिवालय उद्योग मित्र तथा उद्योग संवाद जैसे विभाग के ऑनलाइन प्रोत्साहन के सक्षम प्रबंधन के लिए भी जिम्मेवार होगा।
- (5) सिचवालय यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेवार होगा कि अधिनियम की धारा 6(4) में दी गई प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है और विहित समय-सीमा का अनुपालन होता है। प्रक्रिया में किसी विचलन को राज्य निवेश पर्षद के अध्यक्ष के ध्यान में लाना सिचवालय का कर्तव्य होगा। अध्यक्ष सिचवालय के दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए उपयुक्त अनुदेश, जो अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया से असंगत न हो, जारी कर सकेंगे।

6. समेकित क्लियरेंस प्रणाली।-

- (1) नियम 6(3) में किए गए प्रावधान के अनुसार क्लियरेंस उपलब्ध करने तथा निवेश प्रस्तावों के अनुमोदन में एक ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
- (2) निवेश प्रस्तावों के लिए क्लियरेंस ऑनलाइन उपलब्ध किया जाएगा तथा यह यथाविहित निम्नलिखित चार चरणों में होगा:-
 - (क) चरण-I क्लियरेंस।- चरण-I क्लियरेंस राज्य पर्षद द्वारा योजना की संभाव्यता की जांच करने तथा निवेशक को आवश्यक अनुमोदन उपलब्ध करने के प्रति निर्देश करता है। सिचवालय राज्य पर्षद द्वारा विहित रीति से निवेश प्रस्ताव की जांच करेगा तथा नियम-4 में किए गए प्रावधान के अनुसार निर्णय के लिए राज्य पर्षद के समक्ष प्रस्ताव को रखेगा। चरण- I क्लियरेंस आवेदक को, अनुमोदन के पश्चात्वर्ती चरणों के लिए आवेदन करने हेतु अनुमित देगा। चरण- I आवश्यक रूप से ब्राड सेक्टर, निवेश की मात्रा और प्रस्तावित निवेश के स्थान आदि की पहचान करेगा। पर्षद जानकारी की सूची विहित कर सकेगा जिसकी अपेक्षा चरण- I क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव के साथ भेजे जाने की हो।

- (ख) चरण- II क्लियरेंस।-चरण- II क्लियरेंस कोई उद्योग स्थापित करने के पूर्व सचिवालय से पूर्व स्थापना चरण में किसी निवेशक द्वारा अनुरोध किए गए क्लियरेंस के प्रति निर्देश करता है। पूर्व स्थापना चरण क्लियरेंस की सूची विभाग द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित की जाएगी। ये क्लियरेंस अधिनियम 6(4) में किए गए प्रावधान के अनुसार उपलब्ध किए जाएंगे।
- (ग) चरण-III क्लियरेंस। चरण II क्लियरेंस वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ के पूर्व सिचवालय से पूर्वप्रचालन चरण में किसी निवेशक द्वारा अनुरोध किए गए क्लियरेंस के प्रति निर्देश करता है। पूर्वप्रचालन चरण क्लियरेंस की सूची राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित की जाएगी। ये क्लियरेंस अधिनियम की धारा 6(4) में किए गए प्रावधान के अनुसार उपलब्ध किए जाएंगे।
- (घ) वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस।- वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए किसी निवेशक को, अनुरोध किए गए∕दिए गए क्लियरेंस के प्रति निर्देश करता है। इस चरण में दिए जाने वाले प्रोत्साहन की मात्रा, नीति के अनुसार, विनिश्चित की जाएगी। यह क्लियरेंस राज्य सरकार के पदाभिहित प्राधिकार द्वारा अनुमोदन, पर्षद द्वारा यथा निर्णीत अपेक्षित पूर्व अपेक्षाओं के पूरा होने के बाद, चरण-I बाद, किसी भी समय दिया जा सकेगा। यह स्वचालित प्रक्रिया होगी और आवेदक से किसी नए आवेदन की अपेक्षा नहीं की जाएगी। प्रस्ताव राज्य पर्षद के समक्ष अगली बैठक में, निर्णय के लिए, पूर्व अपेक्षाओं के पूरा होने पर, रखे जाएंगे। राज्य पर्षद निवेश-प्रस्ताव पर लागू प्रोत्साहन की मात्रा की अनुशंसा करेगा। वित्तीय प्रोत्साहन का अंतिम अनुमोदन नियम-7 के प्रावधान के अनुसार दिए जाएंगे। प्रोत्साहन का वास्तविक व्ययन निवेश प्रस्ताव के वास्तविक क्रियान्वयन के अनुसार होगा।
- (3) सामान्य आवेदन पत्रों की प्रक्रिया तथा मॉनिटरिंग करना। एक समेकित ऑनलाइन प्रणाली आवेदनों को प्राप्त करेगी और संबंधित सक्षम प्राधिकारों को अंतरित करने के साथ आवेदन को लीक (ट्रैक) पर लाएगी और प्रास्थित की मॉनिटर करेगी। इस प्रणाली के अधीन-
 - (क) विहित अनुलग्नकों के साथ सामान्य आवेदन पत्र दिए/ऑनलोड किए जाएंगे।
 - (ख) सक्षम प्राधिकारी आवेदक से केवल एक बार अतिरिक्त जानकारी की मांग, 7 दिनों के भीतर, केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे।अतिरिक्त जानकारी का उत्तर आवेदक द्वारा केवल ऑनलाइन भेजा जाएगा।
 - (ग) आवेदन की प्राप्ति की तिथि से विहित समय-सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगे जाने की दशा में, यह समझा जाएगा कि किसी अतिरिक्त जानकारी की अपेक्षा नहीं है और क्लियरेंस के लिए मौलिक समय-सीमा लागू होगी और सक्षम प्राधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्णय करेगा।
 - (घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित समय-सीमा के भीतर अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने की दशा में, अधिनियम की धारा 5 और धारा 6(4) में विहित समय-सीमा की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि को आवेदक द्वारा ऑनलाइन अतिरिक्त जानकारी भेजी गई है।
 - (इ.) सक्षम प्राधिकार आवेदन को प्रक्रियागत करेगा और अधिनियम की धारा 5 और धारा 6(4) में विहित समय-सीमा के भीतर निर्णय (अपनी टिप्पणी) के साथ अनुरोध के अनुमोदन/नामंजूरी की सूचना आवेदक को देगा।
 - (च) आवेदक को सभी क्लियरेंस के लिए तुरंत विकल्प दाखिल करने की स्वीकृति दी जाएगी अथवा वह विभिन्न अंतरालों पर आवेदन करने का चयन कर सकेगा। क्लियरेंस के लिए आवेदन नामंजूर होने की दशा में, आवेदक को नए क्लियरेंस के लिए आवेदन दाखिल करने की स्वीकृति दी जा सकेगी।

- (छ) प्रत्येक अनुमोदन/प्रमाण पत्र के लिए एक यूनिक सिंगल विंडो क्लियरेंस आई0 डी० दिया जाएगा जिसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमोदन त्रिपक्षीय सत्यापन के लिए किया जा सकता है।
- (4) प्रक्रिया और कार्यवाही की सरलीकरण के लिए विशेष प्रावधान और उपाय।-वैसे क्लियरेंस की दशा में जिसमें केवल मौलिक दस्तावेजों की समीक्षा की आवश्यकता हो, स्थल अनुमोदन दिया जाएगा। ऐसे क्लियेरंस की सूची, राज्य पर्षद की सलाह पर, विभाग द्वारा समय-समय पर, अधिसूचित की जाएगी।
- (5) आवेदनों को प्रक्रियागत करने की फीस।- सिचवालय द्वारा क्लियरेंस विभिन्न चरणों के दौरान आवेदक से फीस और जमा प्राप्त किया जाएगा। आवेदन प्रक्रियागत करने की फीस, राज्य पर्षद की सलाह पर, विभाग द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित की जाएगी।
- (6) क्लियरेंस के लिए निरीक्षण का विवेकपूर्ण किया जाना। वैसे क्लियरेंस के लिए जिसमें निरीक्षण की आवश्यकता हो, सभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. पात्र औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।-

- (1) नियम-6(2)(iV) के अधीन क्लियर किए गए प्रस्ताव निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष रखे जाएंगे। राज्य पर्षद की बैठक में अनुमोदित सभी प्रस्ताव एक साथ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखे जाएंगे। निर्णय उसी क्रम में लिए जाएंगे जिस क्रम में राज्य पर्षद से प्रस्ताव अनुमोदित हो। बारी से बाहर प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने की दशा में, ऐसी विचलन के लिए पर्याप्त कारणों को अभिलिखित किया जाएगा और आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (2) सक्षम प्राधिकार और अनुमोदन दिए जाने और वित्तीय प्रोत्साहन का निर्णय दिए जाने हेतु समय-सीमा निम्नवत् होगी:-
 - (i) वैसे प्रस्तावों पर, जिनमें रूपये 2.5 करोड़ और उससे कम का निवेश अंतर्ग्रस्त हो, आयुक्त 15 दिनों की समय-सीमा के भीतर निर्णय लेंगे। यदि विहित समय के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है तो विलंब का कारण अभिलिखित किया जाएगा।
 - (ii) वैसे प्रस्तावों पर जिनमें रूपये 2.5 करोड़ से अधिक और रूपये 10 करोड़ की सीमा तक निवेश अंतर्ग्रस्त हो, मंत्री, उद्योग विभाग द्वारा 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा।
 - (iii) वैसे प्रस्तावों पर, जिनमें रूपये 10 करोड़ से अधिक और रूपये 20 करोड़ तक की सीमा तक निवेश अंतर्ग्रस्त हो मंत्री, उद्योग विभाग और और मंत्री, वित्त विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाएगा। विभागीय मंत्री 15 दिनों के भीतर निर्णय लेंगे और तत्पश्चात वित्त मंत्री अगले 15 दिनों में निर्णय लेंगे।
 - (iv) रूपये 20 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- (3) राज्य सरकार उपरोल्लिखित समय-सीमा, वित्तीय सीमा और सक्षम प्राधिकार का, समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से पुनरीक्षण करेगी।
- (4) एकबार मंजूर प्रोत्साहन, आगे किसी प्राधिकार को बिना किसी निर्देश के, वैसी किसी शर्त के अधीन रहते हुए जो मंजूरी से जुड़ी हो, समयबद्ध रीति से सचिवालय द्वारा व्ययनित किए जाएंगे।
- 8. स्वप्रमाणन।-आयुक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्व:घोषण के सहज सत्यापन के लिए अनुदेश जारी करेंगे।

सत्यापन सचिवालय द्वारा संचालित किया जाएगा अथवा किसी लोक प्राधिकार को जांच-पड़ताल निदेशित की जाएगी जो अपना निष्कर्ष अध्यक्ष को, आवश्यक कार्रवाई के लिए, देगा।

9. डिम्ड अनुमोदन।-

- (1) अधिनियम की धारा 6(4) में यथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर क्लियरेंस जारी करने में सक्षम प्राधिकार के असफल होने की दशा में, सचिवालय, एक प्रति के साथ, संबंधित विभाग द्वारा विहित प्रारूप में डिम्ड अनुमोदन संसूचित कर संबंधित विभाग को सूचित करेगा। सचिवालय सभी ऐसे डिम्ड क्लियरेंस जारी करने हेतु अधिकारियों को पदाभिहित करेगा।
- (2) डिम्ड अनुमोदन उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को ऐसे क्लियरेंस के लिए समय-सीमा समाप्त हो गई हो।
- (3) क्लियरेंस के विलंब के फलस्वरूप डिम्ड अनुमोदन निर्गत करने पर सक्षम प्राधिकार तत्काल नियमों के अनुसार शास्ति अधिरोपण के लिए दायी होगा।

10. शिकायत/अपील।-

- (1) पहली बार सभी शिकायतों को आयुक्त के पास निर्देशित कर दिया जाएगा। सभी शिकायतों का निपटारा आयुक्त द्वारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
- (2) आवेदक अपनी शिकायत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से भेज सकते है और लीक (ट्रैक) पर ला सकते है।
- (3) नीतियों, अनुमोदनों, प्रोत्साहनों, आवेदन-प्रक्रिया, सिंगल विंडो इत्यादि से संबंधित निवेशकों की पूछताछ का प्रभावकारी रूप से उत्तर देने के लिए एक केन्द्रीयकृत हेल्पलाइन नम्बर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

11. निदेश देने की शक्ति।-

- (1) राज्य सरकार, समय-समय पर, राज्य पर्षद या सचिवालय को नीति के ऐसे सामान्य या विशेष निदेश दे सकेगी जिसे राज्य में निवेश बढ़ाने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन समझा जाय।
- (2) आयुक्त को अनुसंधान, जांच-पड़ताल करने और विभिन्न अधिनियमों के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर निवेश प्रस्तावों के लिए अपेक्षित क्लियरेंस से संबंधित मुद्दों पर प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु, लोक प्राधिकार को निदेश देने की शक्ति होगी।

12. शास्ति।-

- (1) कोई लोक प्राधिकार, जो राज्य पर्षद और सचिवालय के निदेशों का अनुपालन विहित समय के भीतर करने में विफल होता है तो अधिनियम की धारा 11(1) के अनुसार अभियोजन/सजा का दायी होगा।
- (2) आगे, संबंधित लोक प्राधिकार के, बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण के, क्लियरेंस उपलब्ध करने के लिए परिभाषित समय का अनुपालन न करने वाले पदाभिहित पदधारी अपने संबंधित सेवा-नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए दायी होंगे: परंतु लोक प्राधिकार के पदाभिहित पदधारियों को, कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।
- (3) कोई भी आवेदक, जो सचिवालय अथवा अन्य संबंधित विभाग को दिए गए घोषणाओं/वचनबंध का अनुपालन करने में विफल रहता है, तत्काल विधिक प्रावधानों के अनुसार अभियोजन/सजा
- 13. प्रकीर्ण । सरकार इस नियमावली के प्रावधानों के त्वरित क्रियान्वयन के लिए ऐसा मार्गदर्शन जारी कर सकेगी जो अधिनियम और इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हों।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डा० एस० सिद्धार्थ, प्रधान सचिव।

The 28th December 2016

No. 4Tech./IIP Rules, 2016/151/2016-3074— In exercise of the powers conferred by section 16 of The Bihar Industrial Investment Promotion Act,2016 The State Government of Bihar is pleased to make the following Rules for carrying out all or any of the purposes of the Act:-

The Bihar Industrial Investment Promotion Rules, 2016

1. Short title, extent and commencement.—

- (1) These rules may be called "The Bihar Industrial Investment Promotion Rules, 2016".
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Bihar Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless otherwise requires in the context-

- 1.(a) "Act" means The Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016.
 - (b) "Board" or "State Board" means State Investment Promotion Board as defined under Section 4 of the Act;
 - (c) "Clearance" means grant or issue of no-objection certificate, allotments, consents, approvals, permissions, registrations, enrolments, licenses and the like, by any competent authority or authorities in connection with the setting up of an industrial undertaking in the State of Bihar and shall include all such clearances required till the industrial undertaking starts commercial production;
 - (d) "Commissioner" means any person appointed by the State Government to act as Industrial Development Commissioner;
 - (e) "Common Application Form" means combined application form for investment and clearances as notified by the State Government from time to time.
 - (f) "Company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals;
 - (g) "Competent authority" means any department or agency of the State Government, which is entrusted with the powers and responsibilities to grant or issue clearances, and shall include Gram Panchayats, Panchayat Samitis, Zila Parishads, Municipalities, Municipal Corporations and Development Authorities;
 - (h) "Department" means the Department of Industries of the Government of Bihar;
 - (i) "Enterprise" shall have the same meaning as in Section 2 (e) of The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 [No. 27 of 2006];
 - (j) "Fee" and "Deposits" shall mean the amounts prescribed by Acts and Rules of the respective competent authorities for according clearance/ approval/consent or any other type of statutory permission which are within the competence of that authority.
 - (k) "Incentive" means such financial and non-financial benefits provided to the investor from time to time under the Policy;
 - (1) "Online" means connected by computer to one or more other computers or networks such as the Internet.
 - (m) "Policy" means the Bihar State Industrial Investment Promotion Policy
 - (n) "Public Authority" shall mean any office responsible for implementation of the various acts and it includes all Competent Authorities defined in section 2(f) of the Act:
 - (o) "Rule" means The Bihar Industrial Investment Promotion Rules, 2016;
 - (p) "Secretariat" means Secretariat of State Investment Promotion Board as defined under Section 5 of the Act;
 - (q) "State Government" means the State Government of Bihar;
 - (r) "Udyog Aadhar" means such registration of industrial units as are laid down by the Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises from time to time.
- (2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Constitution of State Investment Promotion Board.—

- (1) The constitution of the State Investment Promotion Board shall be as per Section 4 of the Act.
- (2) The tenure of the nominated members shall be two years or as decided by the Government, whichever is earlier.

4. Procedure of the State Investment Promotion Board.—

- (1) The Board shall meet every month on a fixed date to be announced by the Department at the previous meeting of the Board. In case the date so fixed falls on a holiday, the meeting shall be held on the next succeeding date without any further notice.
- (2) The State Board may hold more than one meeting in a month as decided by the Chairman of the State Board however it shall be mandatory to hold at least one meeting every month.
- (3) The meeting shall not be postponed due to the absence of any member including the Chairman. In the absence of the Chairman, the next senior most official member shall preside over the meeting.
- (4) Membership of the Board is by designation and substitution by another functionary may be permitted only in extra ordinary circumstances with the permission of the Chairman.
- (5) There shall be a quorum of five members excluding the Chairman for the meeting of the Board. No decision on an item shall be deferred for want of representation by any Department or Agency.
- (6) Proposals placed for consideration before the Board shall be either approved or appropriate decision shall be taken. In case the Board decides to defer the matter for any clarifications, the reason shall be properly recorded in the proceedings.
- (7) The Board shall review the working of the Secretariat monthly, with particular reference to the adherence to time limits and the completeness of proposals placed before the Board.
- (8) The Board shall take a decision on the following:
 - (i) Review the list of clearances to be provided by the Secretariat
 - (ii) Review the list of clearances to be provided on the basis of self-declaration
 - (iii) Approval of Common Application Form
 - (iv) Review the Fees and Deposits for application under SIPB
 - (v) Guide and advise the Department on issues and clarifications related to the Policy
- (9) The Board shall review the following issues as part of the Agenda in every meeting of the Board:
 - (i) Review the status of investment proposal and its approval status
 - (ii) Review the status of investment proposals approved by the Board and their implementation status
 - (iii) Review the status of clearances accorded to the approved investment proposal
 - (iv) Review the number of investment proposals where deemed approval had to be granted and reason for according such deemed approval
 - (v) Review the bottlenecks in obtaining clearances for approved proposals and undertaking necessary actions to resolve
 - (vi) Review the status of loan sanctioned and approved by banks/ Financial Institutions to the approved proposals
 - (vii) Review the implementation of the policy
 - (viii) Review the status of financial incentives processed and disbursed
 - (ix) Any other functions as assigned by the State Government from time to time.
- (10) The Board shall recommend action against the competent authority if the competent authority has not carried the prescribed responsibility under the act.

5. Secretariat of the State Investment Promotion Board.—

- (1) The Secretariat shall have the members mentioned in Section 6(2) of the Act. The Secretariat shall be assisted by professionals to carry out the appraisal of the projects and support the activities defined in Section 6(3) of the Act and rule 5(2). The State Government shall decide the staff strength of the secretariat.
- (2) The Secretariat shall undertake all the functions laid down below:
 - (i) receive, process and make available all required clearance to all new investment proposals including modernization, upgradation and expansion of existing industrial units.
 - (ii) plan, design and implement campaigns to promote Bihar as investment destination within and outside the country;
 - (iii) arrange to receive and process Common Application Forms and ensure that all clearances are given within the time limits to be prescribed under this rule;
 - (*iv*) collect prescribed fees and deposits on behalf of the competent authority for grant of clearance and transfer the fees and deposits to the respective accounts.
 - (v) convey such clearances to the applicant and where there are deficiencies in the application, convey such deficiencies to the applicant and get these rectified;
 - (vi) collate and furnish statistical information on investment by sectors, product and scale, collect all relevant statistical information and provide to Union and state authorities as and when required; and
 - (vii) prepare sector and product wise information for prospective investors and disseminate through web sites, print and visual media and other means as may be directed by the Department.
- (3) The Secretariat shall also be responsible to prepare reports on a monthly basis for various activities listed in rule 4(9) which shall be placed before the Board for appropriate decision.
- (4) The Secretariat shall also be responsible for efficient management of the Department's online initiatives like Udyog Mitra and Udyog Samwad.
- (5) The Secretariat shall be responsible to ensure that the procedure laid down in section 6(4) of the Act is followed and the timelines prescribed are adhered to. It shall be the duty of the Secretariat to bring to the attention of the Chairman of the State Board any deviation in the procedure. The Chairman may issue suitable instruction for the day-to-day working of the Secretariat, not inconsistent with the procedure laid down in the Act.

6. Integrated Clearance System.—

- (1) An online system will be used to provide clearance and approval to investment proposals as per provision made in Rule 6(3).
- (2) The clearances to the investment proposals will be provided online and in four stages as prescribed below:
 - (i) Stage I Clearance.—Stage I clearances refers to examining the feasibility of the project by the State Board and providing necessary approval to the investor. The Secretariat shall examine the investment proposal in the manner prescribed by the State Board and place the proposal before the State Board for a decision as per provisions made in Rule 4. Stage I clearance will allow investor to apply for subsequent stages of approval. The Stage I shall necessarily identify the broad sector, quantum of investment and location etc. of the proposed investment. The Board may prescribe a list of information that may be required to be furnished along with the proposal for Stage I Clearance.
 - (ii) Stage II Clearance.—Stage II clearance refers to clearances requested by an investor at the pre-establishment stage from the Secretariat before setting up of an industry. List of pre-establishment stage clearances will be notified by

- the Department from time to time. These clearances shall be provided as per the provisions made in Section 6(4) of the Act.
- (iii) Stage III Clearance.—Stage III clearance refers to clearances requested by an investor at the pre-operation stage from the Secretariat before commencement of commercial production. List of pre-operation stage clearances will be notified by the State Government from time to time. These clearances shall be provided as per the provisions made in Section 6(4) of the Act.
- (iv) Financial Incentive clearance.—Financial Incentive clearance refers to the clearance requested/accorded to an investor for availing financial incentives. The quantum of incentives to be given shall be decided at this stage as per the Policy. This clearance may be granted anytime after Stage I approval by the designated Authority of the State Government after completion of the required prerequisites as decided by the Board. This shall be an automatic process and no fresh application shall be required from the investor. The proposals shall be placed before the State Board in its next meeting on fulfilling of the prerequisites for a decision. The State Board shall recommend the quantum of incentives applicable to the investment proposal. The final approval of the Financial Incentives shall be given as per the provision of Rule 7. The actual disbursement of incentives shall be as per actual implementation of the investment proposal.
- (3) **Processing and Monitoring of Common Application Forms.**—An integrated online system will accept and electronically transfer applications to respective Competent Authorities as well as track & monitor status of the application. Under this system,
 - (i) The common application form along with prescribed attachments shall be submitted/uploaded online.
 - (ii) The competent authority may ask for additional information from the applicant only once, within first 7 days, through the online portal only. The reply to the additional information shall only be submitted online by the applicant.
 - (iii) In case the additional information is not sought for by the competent authority within the prescribed time limit from the date of receipt of application, it will be construed that no additional information is required and original time limit for clearance shall apply and the competent authority shall decide on the basis of the documents submitted by the applicant.
 - (*iv*) In case the additional information is sought for by the competent authority within the prescribed time limit, the time limit prescribed in Section 5 and Section 6(4) of the Act shall be counted from the date on which the additional information is furnished by the applicant online.
 - (v) The competent authority shall process the application and communicate the decision (approve/reject the request along with his comments) within the time limit prescribed in Section 5 and Section 6(4) of the Act to the applicant.
 - (vi) Applicant will be allowed an option to file for all clearances at once or may choose to apply at various intervals. In case an application for clearance is rejected the applicant may be allowed to file application for the clearance afresh.
 - (vii) Every approval/ certificate will be given a unique Single Window Clearance ID which can be used for third party verification of approvals in public domain.
- (4) Special provisions and measures to simplify process & procedures.—Spot approvals shall be given in case of clearances which require only a scrutiny of basic documents. A list of such clearances will be notified by the Department on the advise of the State Board from time to time.

- (5) Fees for processing applications.—Fees and deposits shall be collected from the applicant during various stages of clearances by the secretariat. Application processing fees will be notified by the Department on the advise of the State Board from time to time.
- (6) Rationalization of the inspection for clearances.—A joint inspection by all the competent authorities shall be encouraged for the clearances which require inspection.

7. Financial Incentives to eligible industrial units.—

- (1) The proposals cleared under rule 6(2)(iv) shall be put up before the competent authority for a decision. All proposal approved in a meeting of the State Board shall be placed before the competent authority in one lot. Decisions shall be taken in the same sequence in which the State Board approves the proposals. In case a proposal has to be approved out of turn, sufficient reasons for such deviations shall be recorded and approved by the Commissioner.
- (2) The competent authority and the time limit to accord approval and decision of Financial Incentives shall be as follows:-
 - (i) The Commissioner within a time limit of 15 days shall take a decision on the proposals, which involve investment of Rs. 2.5 Crore and less. If the decision on the proposal is not taken within the prescribed timeline, the reason for delay shall be recorded.
 - (ii) Proposals which involve investment of more than Rs. 2.5 Crore and up to a limit of Rs. 10 Crore shall be decided by the Minister, Department of Industries within a time limit of 15 days.
 - (iii) Proposals which involve investment of more than Rs. 10 Crore and up to a limit of Rs. 20 Crore shall be decided jointly by the Minister, Department of Industries and Minister, Department of Finance. The Minister, Department shall decide within 15 days and subsequently the Finance Minister shall take a decision within the next 15 days.
 - (iv) Proposals above Rs.20 Crore shall be decided by the State Government.
- (3) The State Government shall revise the above mentioned time limits, financial limits and competent authority, from time to time, through notification.
- (4) Incentives, once sanctioned, shall be disbursed by the Secretariat without any further reference, to any authority in a time bound manner subject to any conditions which may be attached to the sanction.
- **8.** Self-certification.—The Commissioner shall issue instruction for random verification of self-declaration under section 8 of the Act. Verification shall be conducted by the Secretariat or shall direct a public authority to conduct an enquiry, which shall submit its findings to the Chairman for necessary action.

9. Deemed Approval .—

- (1) In case the competent authority fails to issue the clearance within the time limit as specified in Section 6(4) of the Act, the Secretariat shall communicate the deemed approval in the form prescribed by the concerned department with a copy to the concerned Department. The Secretariat shall designate officers for issuing all such deemed clearances.
- (2) The deemed approval shall take effect from the date on which the time limit for such clearance has expired.
- (3) In the eventuality of delay of clearances resulting in issue of deemed approval, the competent authority shall be liable for imposition of penalty as per extant rules.

10. Grievance/ Appeal .—

- (1) In the first instance, all grievances will be referred to the Commissioner. All grievances will be disposed within 30 days by the Commissioner.
- (2) The applicant can submit and track his/her grievance through an online system.
- (3) In order to effectively answer the investor queries regarding policies, approvals, incentives, application process, single window etc., a centralized helpline number will be notified by the State Government.

11. Power to give directions -

- (1) The State Government may, from time to time, issue to the State Board or the Secretariat such general or special directions of policy as may be deemed necessary or expedient for the purpose of promoting investment in the State.
- (2) The Commissioner shall have power to give direction to the Public Authority to carry out investigation, enquiry and seek a report on issues related to clearance under the various acts required for investment proposals within a prescribed time limit.

12. Penalty -

- (1) Any public authority who fails to comply with the directions of the State Board and the Secretariat within the prescribed time shall be liable to conviction / punishment as per Section 11(1) of the Act.
- (2) Further, designated official(s) of the concerned Public Authority not complying with the defined timelines for providing clearances, without sufficient and reasonable cause, shall be liable for action as per their respective service rules.

Provided that the designated officer(s) of the Competent Authority shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed.

- (3) Any applicant who fails to comply with the declarations or undertaking given to the Secretariat or other concerned departments shall be liable to conviction / punishment as per instant legal provisions.
- **13.** *Miscellaneous*.—The Government may issue guidelines not inconsistent with the provisions of the Act and these Rules for smooth implementation of the provisions of these rules.

By order of the Governor of Bihar, DR.S.SIDDHARTH, Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 272-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in